an>

Title: Regarding alleged irregularities in implementation of Right of Children to Education Act, 2009 in Uttar Pradesh.

**डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय (चन्दौली) :** सभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे समय में यह बहुत अर्जेन्ट मामला सामने आया है। मैं और माननीय विनोद सोनकर जी हमारे वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में हम लोग वहां गये थे। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है।

आर.टी. एक्ट, 2009 बाल शिक्षा अधिनियम 6 से 14 वÂान के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम है। उसे सुनिश्चित कराना केन्द्र सरकार का कर्तव्य है और केन्द्र सरकार ऐसा कर भी रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की हालत यह है कि वहां 2011 में टीईटी पास 1 लाख 19 हजार से ज्यादा शिक्षक पढ़े हुए हैं और जबकि उत्तर प्रदेश की विधान सभा में एक सवाल के जवाब में दिया गया है कि उनके पास तीन लाख से अधिक पद रिक्त हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का क्या छिपा हुआ एजेंडा है कि 2011 से पास अध्यापकों के रहते हुए, जिनका टर्म अभी नवम्बर, 2016 में समाप्त हो जायेगा, उसके बाद उनके जीवन में अंधेरा छा जायेगा। इन वÂर्षों में उन्होंने जगह-जगह छोटे-बड़े स्कूलों में पढ़ाकर अनुभव प्राप्त करने के साथ अपना स्किल भी डैवलप किया है। लेकिन तीन मई की वह काली रात इस उत्तर प्रदेश और देश में भूली नहीं जाएगी कि प्राइमरी के टीईटी पास वे लड़के अपना हक मांगने के लिए धरना दे रहे थे, उनमें महिलाएं थीं और युवा शिक्षक थे। अचानक उनके ऊपर इतना बर्बर लाठीचार्ज किया गया कि उसे देखकर ऐसा लगा कि जलियांवाला बाग का जनरल डायर भी फेल हो गया। इस कारण कानपुर की गर्भवती महिला मरणासन्न हालत में पहुंच गई। आज उत्तर प्रदेश में इस अत्याचार से त्राहि-त्राहि मची हुई है। ऐसे अत्याचार के खिलाफ हमारी भारतीय जनता पार्टी का उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल वहां गया और वहां के बारे में रिपोर्ट की।

महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार को सख्त संदेश दें और ऐसे अत्याचारी और आततायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई हो तथा माननीय मानव संसाधन मंत्री उन बेरोजगार नौजवानों को सर्व शिक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश में रिक्त पदों पर नौकरियां दिलाएं। धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON:

Shri Bhairon Prasad Mishra,

Shri Rajendra Agrawal,

Shri Sharad Tripathi and

Shri Vinod Kumar Sonkar are allowed to associate with the matter raised by Dr. Mahendra Nath Pandey.